भा.व.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था
पो. ऑ. कृषि मण्डी, नई पाली रोड, जोधपुर– 342 005

ICFRE-ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

Indian Council of Forestry Research & Education,
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India
P.O. Krishi Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342 005

क्रमांक:I/170714/2026/2-6.2/AMA/Estt./AFRI/ICFRE/2025/18 दिनांक:02-04-2026
06/04/2026

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जोधपुर शहर)
केंद्रीय कारागार रोड,
जोधपुर - 342011

विषय: ICFRE-AFRI डिस्पेंसरी हेतु अधिकृत चिकित्सा अधिकारी नामांकन बाबत-

महोदय,

निवेदन हैं कि भा.वा.अ.शि.प.- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर कार्यालय व आवासीय परिसर न्यू पाली रोड, झालामण्ड चौराहा के पास स्थित हैं | यहाँ कार्यरत कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है | वर्तमान में प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट दिनांक 27.03.2026 को त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात, संस्थान में अंशकालिक/संविदा के आधार पर एक अनुभवी चिकित्सक की सेवाएं ली जानी वांछित है | चिकित्सक की सेवा शर्ते संलग्न है |

उपरोक्त के मद्देनज़र, जोधपुर के सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत/सेवानिवृत व इच्छुक चिकित्सकों के नाम मय विवरण कृपया शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें |

ई-मेल :

भवदीय

संलग्न: सेवा शर्ते

Digitally signed by
ASHUTOSH KUMAR TRIPATHI
Date: 02-04-2026 14:58:47

(डॉ. आशुतोष त्रिपाठी)
निदेशक
भा.वा.अ.शि.प – शु.व.अ.सं, जोधपुर

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी अधिकारी सूचना एवं प्रोद्योगिकी प्रकोष्ट, भा.वा.अ.शि.प.- शु.व.अ.सं, जोधपुर को भेज कर अनुरोध हैं कि संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे |

अग्रेषित मीता तोमर के।
10/4/26

आवक क्र./Inward No. 13 /IT/AFRI/Jul/26-27
दिनांक/Dated: 9.04.26

भा.वा.अ.शि.प.- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में AMA पदस्थ किये जाने हेतु शर्ते

1. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट की अनुबंध पर अंशकालिक सेवाओं हेतु समेकित पारिश्रमिक ₹22,000/- (रूपए बाईस हज़ार) मात्र प्रतिमाह के लिए होगा | अन्य कोई भत्ता देय नहीं हैं | उक्त राशि समय-समय पर संशोधन के आधीन हैं |
2. नामांकन अस्थायी तौर पर तीन माह के लिए होगा | आवशयकतानुसार यह अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है |
3. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट को केंद्रीय सेवा नियम (मेडिकल अटेंडेंट) 1944 तथा भारत सरकार एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा |
4. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के रूप में नामित किया जाना आफ़री (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्) में स्थायी AMA होने का अधिकार प्रदान नहीं करता |
5. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट आफ़री डिस्पेंसरी जो कि आफ़री मुख्य परिसर में आफ़री कार्मिकों तथा उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को बाहय चिकित्सा रोगी के रूप में चिकित्सा परामर्श प्रदान करेंगे |
6. परामर्श का समय सोमवार से शनिवार सांय 5:00 बजे से न्यूनतम 2 ½ घंटे का होगा | यद्यपि वह कार्यालयीन कार्य दिवसों के दौरान जो की सोमवार से शुक्रवार तक हैं, होने वाली छुट्टियाँ का लाभ ले सकेंगे | शासकीय प्रयोजन से आवशयकता होने पर चिकित्सक को बुलाने पर अपनी सेवाएं देनी अपेक्षित होगी |
7. उपर्युक्त निबंधन एवं शर्तों को आवश्यक होने पर निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के विवेकाधिकार से संशोधित किया जा सकेगा |

Digitally signed by
ASHUTOSH KUMAR TRIPATHI
Date: 02-04-2026 15:01:43

(डॉ. आशुतोष त्रिपाठी)
निदेशक
भा.वा.अ.शि.प – शु.व.अ.सं, जोधपुर